



**श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)**
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul Tehri Garhwal (Uttarakhand) -249 199
Mail:registrarsdsu2018@gmail.com,
coesdsuv@gmail.com
Website: www.sdsuv.ac.in

पत्रांक:- 8337 / एसडीएसयूवी / एम०एड०-2023-25 / 2023

दिनांक- 21 दिसम्बर, 2023

(एम०एड० प्रवेश परीक्षा 2023-25)

सूचना

एतत् द्वारा सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है, कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, मझौन, पौधा, देहरादून, में एम०एड० सत्र 2023-25 पाठ्यक्रम की 50 सीटों पर निम्न विवरणानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

01	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 20 दिसम्बर, 2023
02	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	दिनांक 05 जनवरी, 2024
03	परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि (ऑनलाईन)	दिनांक 05 जनवरी, 2024
04	प्रवेश परीक्षा की तिथि	दिनांक 07 जनवरी, 2024
प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण –		
01	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रु0 1000.00
02	अनु० जाति/अनु० जनजाति/दिव्यांग एवं ई०डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रु0 600.00

एम०एड० प्रवेश परीक्षा-2023-25 में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाईट <http://www.sdsuv.ac.in> से प्राप्त कर सकते हैं।

(के० आर० भद्र)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को व्यापक छात्र-हित को मध्यनजर रखते हुये 6×4 साईज में अपने सम्मानित लोकप्रिय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. वित्त अधिकारी।
5. सहायक परीक्षा नियंत्रक (मुख्य/व्यावसायिक)।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

(के० आर० भद्र)
कुलसचिव।

**Sri Dev Suman Uttarakhand University,
Badshahithaul,
Tehri Garhwal, Uttarakhand**

**श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी
गढ़वाल, उत्तराखण्ड**



**Information Brochure/Bulletine for
विवरणिका**

**M.ED ENTRANCE EXAMINATION FOR ACADEMIC
SESSION 2023-25**

**एम०एड० प्रवेश परीक्षा
सत्र 2023–2025 हेतु**



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड—249 199

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑन—लाईन पद्धति से भरा जायेगा तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जानी है जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

01	ऑन—लाईन आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	20.12.2023 (सोमवार)
02	ऑन—लाईन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	05.01.2024 (शुक्रवार)
03	परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	05.01.2024 (शुक्रवार)
04	प्रवेश परीक्षा तिथि	07.01.2024 (रविवार)

प्रवेश परीक्षा का शुल्क

- 1— सामान्य/अन्य पिछड़ा/ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु — ₹0 1000/-
2— अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु — ₹0 600/-

नोट:— ऑन लाईन आवेदन के शुल्क जमा करने हेतु बैंक शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023–25 के लिये प्रवेश परीक्षा केन्द्र

- 01— आई0टी0एम0, चक्राता रोड, देहरादून।

:- प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम :—

क्रमांक	दिनांक	दिवस	समय	परीक्षा प्रश्न-पत्र
01	07.01.2024	रविवार	10:00–02:30 बजे	प्रथम प्रश्न-पत्र भाषा तथा सामान्य ज्ञान द्वितीय प्रश्न-पत्र—सामान्य अभियोग्यता तथा विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण कला/विज्ञान/वाणिज्य

एम०एड० प्रवेश परीक्षा सत्र 2023–25 (दो वर्षीय)

1. आवश्यक निर्देश (Important Instruction)

अभ्यर्थी आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र एवं इस विवरणिका में अन्तिम निर्देशों एवं नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। एम०एड० कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है।

2. अवधि

एम०एड० कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष (सैमेस्टर आधार) की अवधि का होगा। तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक पूर्ण कर सकता है।

3. कार्य दिवस

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित कार्य दिवसों में पठन-पाठन हेतु उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (ख) सभी पाठ्यक्रमचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिये छात्र-अध्यापकों हेतु न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90 प्रतिशत होगी।

4. पात्रता (Eligibility)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम 3.2 अर्हता के अन्तर्गत एम०एड० कक्षा में प्रवेश के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् हैः—

- (अ) एम०एड० कक्षा में प्रवेश के लिये अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की बी०एड०, बी०ए० बी०एड०, बी०एस०सी० बी०एड०, डी०एल०एड० स्नातक डिग्री के साथ सामान्य वर्ग हेतु 50 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनु०जनजाति के लिये प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार होगी।

- प्रवेश परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न पत्र।
- परीक्षा का समय 02:30 घण्टा होगा।
- एम0एड0 प्रवेश परीक्षा का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

	प्रश्न पत्र का नाम	अवधि	अधिकतम अंक	अनिवार्यता
B-1	A-General Knowledge General Hindi, Education सामान्य ज्ञान , सामान्य हिन्दी तथा शिक्षा	01:00 घण्टा	100, अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	B-General Knowledge, General English, Education सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, शिक्षा		100, अंक (50 प्रश्न)	
B-2	General Intelligence सामान्य अभियोग्यता	01:30 घण्टा	100, अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	Specific Aptitude Test-Art/Science/Commerce/Education		100, अंक (50 प्रश्न)	

विद्यार्थी को हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में किसी एक को चुनना होगा।

1.3 परीक्षा में सफल होने के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दानों प्रश्न—पत्रों में मिलाकर 40 प्रतिशत अर्थात् कुल 80 अंक लाना अनिवार्य होगा तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनों प्रश्न—पत्रों में मिलाकर 27 प्रतिशत अर्थात् कुल 54 अंक लाना अनिवार्य होगा।

नोट:- विद्यार्थी को दोनों प्रश्न—पत्रों (B1&B2) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित न होने की दशा में उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा।

5. प्रवेश हेतु आरक्षण (Reservation)

वर्तमान में लागू विभिन्न शासनादेशों के तहत एम0एड0 पाठ्यक्रम में आरक्षण के नियम निम्नानुसार हैं—

(01) आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है—

उच्चाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 14 प्रतिशत |
| 2. अनुसूचित जाति (SC) | 19 प्रतिशत |
| 3. अनुसूचित जनजाति (ST) | 04 प्रतिशत |

नोट— केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाण—पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

क्षेत्रिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

1. दिव्यांग (Handicapped-PH)	05 प्रतिशत
2. महिलाएं (Women)	30 प्रतिशत
3. भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman)	05 प्रतिशत
4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (Dependents of freedom fighters)	02 प्रतिशत

- (02) अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी लिये दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण—पत्र व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण—पत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा।
- (03) आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल संलग्न/आधिकारिक प्रारूपों पर प्राप्त प्रमाण पत्रों पर ही दिया जायेगा। पृथक से भाषाबद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का प्रमाण पत्रों की जाँच के समय संज्ञान लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं हो पायेगा।
- (04) अनधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंग। ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे जो कि नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं है।
- (05) दिव्यांग प्रमाण—पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। चर्मरोग से ग्रसित, हकलाने वाले मूक—बधिर अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन न करें। इनके प्रवेश पर कोई विचार सम्भव नहीं होगा।

6. अन्य निर्देश

01. ऑन—लाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में जमा नहीं होगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति अपने पास सुरक्षित रखे तथा काउन्सिलिंग के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र तथा अधिभार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। परीक्षा शुल्क चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।

02. एम0एड0 सत्र प्रवेश परीक्षा आवेदन को सावधानीपूर्वक भरें तथा सम्बन्धित वर्ग एवं श्रेणी पर तदनुसार अंकित करें, किसी भी त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
03. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन पत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, इसी प्रकार अधिमान अंकों हेतु भी प्रमाण पत्र का प्रारूप इस विवरणिका में दिया गया है। इस प्रकार के सभी प्रमाण पत्र आवेदन पंजीकरण के पूर्व निर्गत होने आवश्यक हैं।
04. ऑन—लाईन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।
05. ऑन—लाईन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त कोई भी अधिभार अंक सम्बन्धी अथवा कोई भी अन्य प्रमाण पत्र का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
06. एम0एड0 प्रशिक्षण में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं हैं। जिस संस्थान में प्रवेश आवंटित होगा उसी महाविद्यालय से एम0एड0 पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। कोई प्रशिक्षणार्थी स्थानान्तरण हेतु आवेदन न करें।
07. किसी भी अभ्यर्थी का वर्ग (Category) परिवर्तित नहीं होगा। अभ्यर्थी ने जिस वर्ग को ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अंकित किया है उसका वर्ग वही सही होगा।
08. अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय का वर्ग लिखें, था जैन, बौद्ध, मुस्लिम, इसाई आदि।
09. एम0एड0 कक्षा में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। उन्हे आवेदन भरने से पहले ध्यान से पढ़ लीजिए।
10. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण—पत्र जाली पाये गये तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा, तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
11. किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा, और न ही आगामी वर्षों हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
12. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त किये बिना सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
13. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
14. जिन अभ्यर्थियों ने क्वालीफाइंग बी0एड0 पात्रता उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उन्हे अन्य राज्य वर्ग में रखा जायेगा। परन्तु उत्तराखण्ड निवासी ने यदि

क्वालीफाइंग बी0एड0 पात्रता उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उत्तराखण्ड राज्य वर्ग में रखने हेतु सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण—पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

15. एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023 के लिये परीक्षा केन्द्र एक परीक्षा केन्द्र पर केवल देहरादून में ही रहेगा।
16. आवेदन पत्र पर संलग्न समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां स्वयं हस्ताक्षरित होनी अनिवार्य है तभी काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने दिया जायेगा। अधिभार अंकों के लिये प्रमाण—पत्रों के प्रारूप आवेदन पत्र पर संलग्न है। स्थानान्तरण तथा प्रवजन प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी प्रवेश के समय लाना आवश्यक है, अन्यथा प्रवेश देय नहीं होगा।
17. एम0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि अभ्यर्थी एम0एड0 प्रशिक्षण के लिये पूर्णतः स्वस्थ है।
18. एम0एड0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के लिये पूर्ण विवरण देने पर ही विश्वविद्यालय कार्यालय उत्तर दे सकेगा तथा अपेक्षित कार्यवाही की जा सकती है।
19. अभ्यर्थियों के निम्नलिखित वर्ग (Category) हैं एवं उपवर्ग हैं जो कि शासनादेश के अनुसार संशोधित किये गये हैं।

वर्ग (Category)	कोड	उपवर्ग	कोड
सामान्य (General)	(Gen)	दिव्यांग (Handicapped)	H
अनुसूचित जाति (SC)	(SC)	स्वतंत्रता संग्रहा सेनानी आश्रित	F
अनुसूचित जनजाति (ST)	(ST)	भूतपूर्व सैनिक स्वयं अभ्यर्थी	Ex-s
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	(OBC)	महिला अभ्यर्थी	W

विशेष: एक अभ्यर्थी केवल एक ही वर्ग चुन सकता है। एक बार वर्ग (Category) को चुनने के उपरान्त अन्य किसी वर्ग में समायोजन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

20. प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के दावे के आधार पर प्रवेश परीक्षा/काउन्सिलिंग करायी जायेगी, किसी भी प्रकार की गलती अथवा भ्रामक जानकारी आवेदन पत्र में भरने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।

22. प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने के उपरान्त सम्बद्ध संस्थान में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग का आयोजन किया जायेगा। काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की भी जाँच की जायेगी।

7. अधिमान अंक

1. अधिभार अंकों का आंवटन—

निम्नलिखित श्रेणी में से किसी एक में आने वाले अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक आवंटित किये जायेंगे, किन्तु उसका कुल योग 25 अंक से अधिक नहीं होगा:—

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अथर्थियों को।

(1) इण्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थियों द्वारा—

1. प्रथम स्थान पाने पर	15 अंक
2. द्वितीय स्थान पाने पर	10 अंक
3. तृतीय स्थान पाने पर	05 अंक

(2) टीम आइटम में—

1. सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम सदस्य होने पर	15 अंक
2. उपविजेता (रनर्स अप) टी सदस्य होने पर	10 अंक
3. प्रतियोगिता टीम का सदस्य होने पर	05 अंक

नोट (1) उपर्युक्त मद संख्या 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत केवल एक ही आइटम का लाभ देय होगा, अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम में भाग लिया है, तो उसे एक ही टीम/आइटम का लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ख) निम्नलिखित मदों में से केवल एक का लाभ देय होगा—

नेशनल केडिट कोर (NCC) से सी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी/महिला अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 15 अंक

या

नेशनल केडिट कोर में बी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष तथा महिला अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 10 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को 05 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को—(स्नातक कक्षा के द्वितीय वर्ष में) – 10 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा स्नातक में दो वर्षों में तथा दो विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को – 15 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना में सी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को – 15 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना में बी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को – 10 अंक
स्काउट्स एवं गाईड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को – 15 अंक

या

स्काउट्स एवं गाईड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को – 10 अंक
या

स्काउट्स एवं गाईड्स का ध्रुव पद या गुरुलपद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को – 05 अंक

(ग) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/पुत्र का पुत्र/अविवाहित पुत्री – 15 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवरत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों
या

ऐसे कर्मचारी जो दिव्यांग गुमशुदा या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो – 15 अंक

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एस0एफ0 या आई0टी0बी0पी0 या होमगार्ड, सेवारत हो या ऐसे कर्मचारी का पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो जो कार्यरत या सेवा निवृत्त दिव्यांग या सेवारत रहते हुए मृत हो गया हो – 15 अंक

(च) ऐसे महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो ऐसे अभ्यर्थी को कानूनी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) दाखित करने होंगे।

(छ) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के पूर्णकालिक, नियमित, एवं वैतनिक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों या उनके (वित्त विहीन— मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को अंक देय नहीं होंगे) – 15 अंक

(2) यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त (क) से (छ) तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता सूची में जोड़े जायेंगे।

(3) स्वयं अभ्यर्थी या माता/पिता के एक ही विभाग में कार्यरत होने पर केवल एक ही व्यक्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभार अंक देय होंगे। अधिकृत एवं कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, तथा ऐसे प्रमाण पत्रों में अधिभा अंक देय नहीं होंगे।

क्र0सं0	अधिभार अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	प्रति हस्ताक्षरित हेतु सक्षम अधिकारी
01	एन0सी0सी0 का बी तथा जी प्रमाण पत्र	एन0सी0सी0 निदेशालय व रक्षा मंत्रालय का प्रमाण पत्र।
02	एम0एस0ए0 के अन्तर्गत संचालित शिविरों में भाग लेने का प्रमाण पत्र (स्नातक के द्वितीय वर्ष में ही प्रमाण पत्र मान्य होगा)	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र
03	एन0एस0एस0 के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा दो वर्षों में आवश्यक रूप से होनी चाहिए।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र
04	किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या राज्य अधिकारी खेलकूद निदेशक का प्रमाण पत्र / क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष।
05	अन्तर विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष।
06	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।	शासन से सम्बन्धित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
07	स्काउट्स एवं गाइड्स का पुरस्कार/राज्यपाल पुरस्कार।	राष्ट्रीय/राज्यपाल/कमिशनर स्काउट्स एवं गाइड्स
08	ध्रुवपद या गुरुपद प्रशिक्षण प्राप्त	राष्ट्रीय/राज्यपाल/कमिशनर स्काउट्स एवं गाइड्स
09	पुलिस	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र
10	होमगार्ड, बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, एस0एस0बी0, आई0टी0बी0पी0 आदि	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र
11	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक का पाल्य एवं वार्ड तथा कर्मचारी वार्ड।	निदेशक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा।
12	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी पाल्य वार्ड (मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्थायी रूप से पूर्ण वेतनमान पर होना अनिवार्य है)	मुख्य शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)/संयुक्त शिक्षा निदेशक/सहायक कमिशनर/केन्द्रीय शिक्षा अधिकारी।

(5) शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी, तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा निर्गत एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सही एवं विद्यालय के अभिलेखों के आधार पर है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी अपना पूरा नाम व पद का उल्लेख करें।

(6) उप शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक एवं कृते करके प्रदत्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी वार्ड का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मान्यता प्राप्त विद्यालय में पूर्ण वेतनमान तथा पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होना आवश्यक है।

8. श्रेष्ठता सूची तैयार करना

(1) प्रवेश परीक्षा में अंक तथा अधिभार अंक (जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी) को जोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानों के लिये पृथक—पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।

(2) यदि प्रवेश परीक्षा तथा अनुमन्य अधिभार अंक के आधार पर दो या दो से अधिक छात्रों के अंक समान होते हैं तो श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध/सहयुक्त/संघटक महाविद्यालय के छात्रों को वरीयता दी जायेगी। उपर्युक्त व्यवस्था के उपरान्त भी अंक समान आते हैं तो आयु में जेष्ठ को वरीयता दी जायेगी।

(3) श्रेष्ठता सूची के किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गयी हो, अथवा किसी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि हेतु निष्कासित किया गया हो ऐसे अभ्यर्थी का सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या का होगा, जिसके लिये उन्हें विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

9. संस्थान में प्रवेश

(1) संस्थान आवंटन के उपरान्त 21 दिन के भीतर छात्र को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश ले लेना चाहिए, इस अवधि के उपरान्त प्रवेश हेतु उसका कोई हक नहीं रहेगा, और उसका अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

(2)(क) प्रवेश से पूर्व सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य/प्राचार्या छात्रों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच करने के उपरान्त ही उन्हें प्रवेश देंगे।

(ख) अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रमाण—पत्र के लिये मान्य नहीं होंगे।

(ग) किसी भी छात्र को अन्तिम रूप में प्रवेश वर्जित करने से पूर्व प्राचार्य द्वारा कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में सूची तैयार करने के साथ एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। यदि कक्षायें प्रारम्भ होने के एक माह के भीतर कोई स्थान रिक्त हो जाता है, तो उनकी पूर्ति प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से की जायेगी।

(ड) चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र को प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। जिससे इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह अभ्यर्थी हकलाता नहीं है, और कान, आँख या किसी अन्य बीमारी के कारण अध्यापक हाने के अयोग्य नहीं है।

एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023 से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढवाल सत्र 2023–25 के पूर्णकालिक प्रवेश के लिये परीक्षा की तैयारी अधोलिखित निर्देश के अनुसार कीजिए।

1. एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों की उपलब्धियों का निम्न प्रश्न—पत्रों में मापन होगा।

प्रथम प्रश्न—पत्र	हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र
द्वितीय प्रश्न—पत्र	एप्टीटयूट टेस्ट—कला, अथवा एप्टीटयूट टेस्ट— विज्ञान, अथवा एप्टीटयूट टेस्ट— वाणिज्य अथवा एप्टीटयूट टेस्ट— शिक्षाशास्त्र

नोट:— प्रश्न—पत्र प्रथम में हिन्दी भाषा तथा सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी है। द्वितीय प्रश्न—पत्र में एप्टीटयूट टेस्ट— कला अथवा एप्टीटयूट टेस्ट—वाणिज्य, अथवा एप्टीटयूट टेस्ट—विज्ञान की परीक्षा देनी है।

2. प्रथम प्रश्न—पत्र को हल करने के लिये 01 घण्टे एवं द्वितीय प्रश्न—पत्र को हल करने के 01:30 घण्टे का समय दिया जायेगा। दोनों प्रश्न—पत्रों की परीक्षा एक ही दिन में होगी।

3. परीक्षा प्रश्न—पत्र एवं आर्हता अंक

प्रश्न —पत्र	कुल अंक	आर्हता अंक (सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा) वर्ग	आर्हता अंक अंक (आरक्षित वर्ग) एस०सी०/एस०टी०	समय
प्रथम—हिन्दी भाषा, सामान्य ज्ञान, शिक्षाशास्त्र अथवा अंग्रेजी भाषा, सामान्य ज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र	100	40	27	01 घण्टे
द्वितीय— एप्टीटयूट टेस्ट—कला/एप्टीटयूट टेस्ट—विज्ञान/एप्टीटयूट टेस्ट—वाणिज्य एप्टीटयूट टेस्ट—शिक्षाशास्त्र	100	40	27	1.30 घण्टे
अंकों का योग	200	80	54	

4. प्रत्येक अभ्यर्थी को 200 अंक की परीक्षा देनी होगी। सामान्य वर्ग/ओ०बी०सी० के अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न—पत्र में पृथक—पृथक 40 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रत्येक प्रश्न—पत्र में पृथक—पृथक 27 प्रतिशत अंक आर्हता के लिये प्राप्त करना आवश्यक है।

(प्रवेश परीक्षा हेतु अन्य निर्देश)

- प्रत्येक प्रश्न—पत्र (पुस्तिका) के साथ उत्तर पत्रक (ANSWER KEY) पृथक से होगी।
- दोनों प्रकार के प्रश्न—पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये जायेंगे। प्रश्नों का स्वरूप बहुविकल्पीय होगा।
- प्रत्येक प्रश्न—पत्र में दो खण्ड होंगे। प्रथम खण्ड के प्रश्न तथा द्वितीय खण्ड में प्रश्नों के उत्तर के लिये चार विकल्प दिये जायेंगे। उनमें से एक सही उत्तर के क्रम को काली इंक से उत्तर—पत्रक पर अंकित गोले को भरना होगा।

उत्तर का उदाहरण :—

(A) (B) (C) (D)

5. प्रथम प्रश्न—पत्र हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान का होगा अर्थात् अभ्यर्थी को सामान्य ज्ञान का प्रश्न—पत्र एवं हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक के साथ शिक्षाशास्त्र का चयन करना होगा।
6. हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तिका में पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के तथा दूसरे 50 प्रश्न हिन्दी भाषा के होगे। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान की प्रश्न—पुस्तिका में पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के तथा दूसरे 50 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होगे।
7. प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यह प्रश्न—पत्र 200 अंकों का होगा।
8. हिन्दी भाषा या अंग्रेजी भाषा परीक्षा में स्नातक स्तर की सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न होगे।
9. सामान्य ज्ञान के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित होगे।
 1. भारतीय इतिहास
 2. भौगोलिक विशेषताएं
 3. भारतीय संस्कृति
 4. वैज्ञानिक तथ्य
 5. राजनीति
 6. विज्ञान
 7. तकनीकी उपकरण
 8. वर्तमान घटनायें
 9. सामाजिक तथ्य
 10. खेलकूद,
 11. शिक्षाशास्त्र

10. सभी विषय कला, वाणिज्य तथा विज्ञान की पाठ्य वस्तु स्नातक स्तरीय सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि पर आधारित होगे।

11. एप्टीट्यूट टेस्ट के प्रश्नों का उदाहरण:—

प्रश्न:— रमेश कृष्ण से अधिक बुद्धिमान है। प्रमोद उमेश से कम बुद्धिमान है। उमेश कृष्ण से अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार सबसे अधिक बुद्धिमान है:—

- A. उमेश B. रमेश C. प्रमोद D. कृष्ण

सही उत्तर— रमेश जिसका क्रमांक B उत्तर—पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्न:— उत्तर प्रदेश का सबसे औद्योगिक नगर है:—

- A. गाजियाबाद B. नोएडा C. कानपुर D. आगरा

सही उत्तर— कानपुर जिसका क्रमांक C उत्तर—पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्न:— प्रश्न के प्रथम खण्ड में दो शब्दों को विशेष सम्बन्ध है द्वितीय खण्ड में दिये हुये शब्दों के लिये सामान सम्बन्ध का चयन कर उसके क्रमांक को अंकित कीजिए। लकड़ी, पानी, गुब्बारा।

- A. आकाश B. रबड़ C. वायु D. उपरोक्त सभी

सही उत्तर— वायु, जिसका क्रमांक C उत्तर—पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्न:— एक रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है:—

- A. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया B. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया C. भारत सरकार D. उपरोक्त सभी

सही उत्तर— भारत सरकार, जिसका क्रमांक C उत्तर—पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्न:— प्रश्न की संख्यायें किसी विशेष क्रम में रखी गयी हैं। उसी क्रम की श्रेणी को अगलरी संख्या का क्रमांक अंकित कीजिये।

श्रेणी 1, 4, 16, 25, A

A-38 B-26 C-36 D-32

सही उत्तर— 36 जिसका क्रमांक C उत्तर—पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

कुलसचिव

(प्रमाण—पत्रों के प्रारूप एम०एड० हेतु)
प्रमाण—पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0.....आत्मज/आत्मजा
श्रीनिवासी.....
तहसीलजनपद.....उत्तराखण्ड राज्य के
निवासी है तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के है।

दिनांक:—.....

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार

प्रमाण—पत्र II (उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144 / कार्मिक—2—2001—53(1)—2001

दिनांक 18—07—2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण—पत्र)

(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0.....
पुत्र/ पुत्री श्रीनिवासी ग्राम.....तहसील.....

जिला.....उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम)..... की जाति
के व्यक्ति है यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची—1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0.....उक्त
अधिनियम 1994 की अनुसूची—2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0—2/1995 टी0सी0 दिनांक 8
दिसम्बर 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादिन नहीं है।

श्री/ श्रीमती/ कु0.....तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के
ग्राम.....तहसील.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।
यह प्रमाण—पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री.....की जांच आख्या.....
पर जारी किया गया है।

स्थान.....

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

दिनांक.....

उपजिलाधिकारी

तहसीलदार

सील सहित

सील सहित

नोट:— अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0
1144 / कार्मिक—2—2001—53(1)2001 दिनांक 18—7—2001 में उल्लिखित एवं शासन द्वारा
समय—समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

प्रमाण—पत्र III आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण—पत्र

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र

प्रमाण पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0.....
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री.....ग्राम/ मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रीतों से वित्तीय वर्षकी औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹0 8.00 (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है—

(I) कृषि भूमि 05 एकड़ या उससे अधिक या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

1. श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....जो किजाति से है और भारत सरकार/ उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का
नवीनतम
पासपोर्ट साईज
का प्रमाणित
फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

प्रमाण—पत्र IV (दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कृ0.....आत्मज/आत्मजा

श्री.....निवासी.....

तहसील..... जनपद..... उत्तराखण्ड राज्य के
दिव्यांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर, या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से
ग्रस्त नहीं है जिससे बच्चों में फैलन या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो।
अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षमह”।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोट:- न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60
प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

प्रमाण—पत्र V (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है किश्री / श्रीमती / कु0.....
आत्मज / आत्मजा श्री.....प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद).....
पर कार्य कर रहे हैं / कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये / उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी
थी / वह अपंग सेवा निवृत्त हो गये थे तथा श्री / श्रीमती / कु0.....इनके
पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित

ऑफिसर कमाण्डेन्ट / सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण—पत्र VI (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0.....आत्मज/आत्मजा
श्री.....भूतपूर्व सैनिक ने.....के पद पर कार्य
किया/सम्मान सेवानिवृत्त हुए है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण—पत्र VII (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....आत्मज/आत्मजा
श्री.....शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी है/थे तथा
श्री/श्रीमती/कु0.....इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री है।

दिनांक:—.....

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

नोट:— प्रमाण—पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

प्रमाण—पत्र VIII (विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....आत्मज/आत्मजा
श्री.....एक विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है, इनके पति
श्री.....की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्यक्ता दिनांक.....
को कर दिया गया है।

दिनांक:—.....

हस्ताक्षर सील सहित
उपजिलाधिकारी

नोट:— कानूनी प्रमाण—पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

प्रमाण—पत्र IX (पुलिस / पी०ए०सी० / होमगार्ड / बी०ए०स०एफ० / एस०ए०स०बी०
या आई०टी०बी०पी० / सी०आर०पी०एफ० के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती.....आत्मज / आत्मजा
श्री.....विभाग.....पद.....पर
सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत है/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए है।

दिनांक:—.....हस्ताक्षर सील सहित
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर
पी०ए०सी० / होमगार्ड / बी०ए०स०एफ० / एस०ए०स०बी० या आई०टी०बी०पी० / सी०आर०पी०एफ०

नोट:— होमगार्ड के लिए प्रमाण—पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

S.No	CCode	NAME
1	321	SHREE DEV BHOOXI INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, MAZHON, POUNDHA, DEHARDUN

कुलसचिव
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

